

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 30.05.2024

60 लीटर अवैध कच्ची शराब, 750 ग्राम नौसादर व 02 किग्रा यूरिया व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं ब्रिकी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में उ0नि0 अंजनी कुमार तिवारी मय पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त तुफानी निषाद पुत्र स्व0 जयराम निषाद निवासी ग्राम अतौरलिया थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को 60 लीटर अवैध कच्ची शराब, 750 ग्राम नौसादर व 02 किग्रा यूरिया व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 453/2024 धारा 60,63 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/आपराधिक इतिहास -

तुफानी निषाद पुत्र स्व0 जयराम निषाद निवासी ग्राम अतौरलिया थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0- 0190/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 582/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 व 258,259,260,420,468,471 भादवि व 63,65 कापी राइट एक्ट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 967/2023 धारा 2(B)(1),3(1) यूपी गैंगेस्टर थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 453/2024 धारा 60,63 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अंजनी कुमार तिवारी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. श्याम कुमार गुप्ता आबकारी निरीक्षक सेक्टर 02 जनपद गोरखपुर
4. सुनील कुमार- आबकारी निरीक्षक सेक्टर 01 जनपद गोरखपुर
5. विकास मिश्रा आबकारी आरक्षी सेक्टर 01 जनपद गोरखपुर
6. का0 जयप्रकाश थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर